न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.ओम प्रकाश बैरवा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 85 / 2023
प्रविष्टि दिनांक 10.10.2023

आमिर पुत्र निज्जर जाति फकीर निवासी दूरेंची पुलिस थाना हथीन जिला पलवल हरियाणा –प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य –विपक्षी

एफ.आई.आर. नम्बर 87 / 2023 पुलिस थाना दत्तवास जिला टोंक अपराध अन्तर्गत धारा 11(1)(घ) पशुओ के प्रति कूरता अधिनियम व धारा 3, 5, 6,8, 9 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) अधिनियम एंव धारा 3/181 मोटर यान अधिनियम प्रार्थना पत्र वास्ते दिये जाने सुपुर्दगी वाहन ट्रक संख्या एच आर 73 बी 5601

उपस्थिति : (1) श्री अजय सिंह सोंलकी, अभिभाषक प्रार्थी
(2) पेरोकार सरकार

दिनांक 01.01.2024

निर्णय

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि पुलिस थाना दत्तवास जिला टोंक ने दिनांक 18.05.2023 को वाहन नम्बर एच.आर–73 बी 5601 ट्रक में 6 नर व 14 मादा कुल 20 अवैध गोवंश (सांड)परिवहन करने पर राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशु कूरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत अपराध पाये जाने पर वाहन जप्त कर गोवंश को श्री श्री 1008 श्री सेवानन्द जी श्री गौशाला समिति हरभावता आश्रम मे संरक्षित रखवाने हेतु सुपुर्दगी मे दिये जाने के फलस्वरूप प्रार्थी ने व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र वाहन सुपुर्दगी हेतु प्रस्तुत किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव प्रकरण से सम्बन्धित पुलिस थाना दत्तवास जिला टोंक से केस डायरी तलब किये जाने पर उनके द्वारा काउन्टर पत्रावली मय तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की। प्रकरण मे अभिभाषक प्रार्थी एंव पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पुलिस थाना दत्तवास जिला टोंक ने दिनांक 18.05.2023 को वाहन नम्बर एच.आर.–73 बी 5601 **टाटा –1512** ट्रक में कुल 20 अवैध गोवंश (सांड)परिवहन करने पर राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशु कूरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत अपराध पाये जाने पर वाहन जप्त किया है वाहन थाने में खुले स्थान पर खडा हुआ है, जिससे वाहन के ट्यूब,टायर आदि के खराब होने व रंग रोगन व इंजन में परिवर्तन आने की पूर्ण संभावना है। वाहन के पुलिस में जप्त रहने से प्रार्थी को अपार आर्थिक क्षति हो रही है। पुलिस तफतीश पूर्ण हो चुकी है, प्रार्थी जब्त शुदा वाहन का स्वामी है, जो जब्तशुदा उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी मे प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी को उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने का अधिकार प्राप्त है। अतः जप्त शुदा वाहन प्रार्थी को सुपुर्दगी मे दिया जावे।

जिला कलेक्टर
टोंक

पेरोकार सरकार ने जवाबी बहस मे कथन किया कि प्रार्थी द्वारा नर व मादा कुल 20 बैलो (बछडों) को विधिवत रूप से कय नही कर ट्रक मे अव्यवस्थित रूप से क्षमता से अधिक भरकर ले जाया जा रहा था। नर व मादा बछड़ो को थानाधिकारी दत्तवास जिला टोंक द्वारा वाहन नम्बर एच.आर.–73 बी 5601 **ट्रक** गोवंश परिवहन करने पर राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशु कूरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत अपराध पाये जाने पर जप्त किया गया है । वाहन से धारा 5,6,8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशुओं के प्रति कूरता निवारण अधिनियम का अपराध कारित होना एंव राजस्थान गोवंशीय अधिनियम 1995 में हुए अधिनियम में संशोधन अधिनियम 2018(2019 अधिनियम सं.25) की धारा 6 क यह कहती है कि कभी भी इस अधिनियम के दण्डनीय अपराध किया जावे तो ऐसा अपनाध करने के लिए उपयोग में लाया गया प्रवहरण का कोई भी साधन अधहिरण के दायित्वहीन होगा ओर अभिगृहित वाहन को सुपुर्दगी में दिया जाना न्यायोचित नहीं माना है। इस कारण भी प्रार्थी सुपुर्दगार का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा व खर्चा खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

हमने अभिभाषक प्रार्थी एंव पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अध्ययन किया। वाहन एच.आर.–73 बी 5601 **ट्रक** राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशु कूरता निवारण अधिनियम में जप्त किया गया है।

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) (संशोधन) अधिनियम 2018 (2019 का अधिनियम संख्यांक 25) की धारा 6–क इस प्रकार हे–

धारा 6–क प्रवहण के साधन का अधिहरण–

(1) जब कभी भी इस अधिनियम के दण्डनीय अपराध किय जाये तो ऐसा अपराध करने के लिये उपयोग में लाया गया प्रवहण का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होगा।

(2) जहां उप धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण का कोई भी साधन इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करने के संबंध में अभिगृहित किया जाता है तो वहां ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट, अभिगृहीत करने वाले व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी को अयुक्तियुक्त विलम्ब के बिना की जायेगी और ऐसे अपराध के लिये चाहे अभियोजन संस्थित किये जाये या नहीं, उस क्षेत्र पर जहां प्रवहण का उक्त साधन अधिगृहीत किया गया था, अधिकारिता रखने वाला सक्षम प्राधिकारी यदि उसका समाधान हो जाये कि प्रवहण का उक्त साधन इस अधिनियम के अधीन अपराध करने के लिये उपयोग में लिया गया था, प्रवहण के उक्त साधन के अधिहरण कर सकेगाः

परन्तु प्रवहण के उक्त साधन के अधिहरण का आदेश करने से पूर्व प्रवहण के उक्त साधन के स्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा, और यदि ऐसा स्वामी सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि उसके पास यह विश्वास करने का कोई भी कारण नही था कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किये जाने के संभावना है और उसने ऐसे किसी अपराध को किये जाने को निवारित किये जाने में सम्यक् सावधानी बरती थी तो सक्षम प्राधिकारी प्रवहण के उक्त साधन का अधिहरण नहीं करेगाः

परन्तु यह और कि जहां प्रवहण का ऐसा साधन केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या उनके किसी उपकम के स्वामित्वाधीन हो, वहां प्रवहण के ऐसे साधन के

जिला कलेक्टर
टोंक

अधिहरण का कोई आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जायेगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामला, प्रवहण के साधन के बारे में ऐसे आदेश करने के लिए राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जैसाकि राज्य सरकार उचित समझे:

परन्तु यह भी कि इस उप धारा के अधीन आधिहरण का आदेश करने के पूर्व,उप धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण के साधन के स्वामी को अधिहरण के बदले में प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक के जुर्माने का संदाय करने का विकल्प दिया जा सकेगा:

परन्तु यह भी कि प्रवहण के साधन के स्वामी को पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन विकल्प नही दिया जायेगा, यदि उसे किसी पूर्व अवसर पर उस परन्तुक के अधीन विकल्प दिया जा चुका है।

(3) जब कभी भी उप–धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण के किसी साधन का इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के संबंध में अभिग्रहण किया जाता है, तब प्रवहण के ऐसे साधन के कब्जे, परिदान, व्ययन या निर्मुक्ति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को आदेश करने की अधिकारिता होगी, और तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, किसी न्यायालय अधिकरण या अन्य प्राधिकारी को उक्त अधिकारिता नहीं होगी।

(4) जहां सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि लोक हित में या उसके स्वामी के फायदे के लिये यह समीचीन है दकि इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने के लिए अभिगृहित, उप धारा (1) में यथा निर्दिष्ट प्रवहण के साधन का सार्वजनिक नीलाम से विक्रय किया जाये तो वह किसी भी समय उसका विक्रय किये जाने का निर्देश दे सकेगा।

(5) सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी अधिहरण आदेश, ऐसे किसी भी दण्ड के दिये जाने को निवारित नहीं करेगा जिसका, उससे प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दायित्वधीन है''।

प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों के अतिरिक्त अभिभाषक का यह भी कथन रहा है कि प्रार्थी के उक्त वाहन का तथाकथित आरोपित अपराध से किसी तरह का कोई संबंध नही है। प्रार्थी के वाहन को पुलिस ने प्रकरण मे गलत रूप से जब्त किया है। थानाधिकारी पुलिस थाना दत्तवास जिला टोंक ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 07.12.2023 मे अपराध प्रमाणित पाया जाने पर आरोप पत्र माननीय न्यायालय ए.जे.एम. निवाई मे पेश किया जा चुका है। जब्तशुदा वाहन एच.आर.–73 बी 5601 **ट्रक** पुलिस थाना दत्तवास मे खडा होने का उल्लेख किया है। अतः प्रार्थी का वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में विधिक प्रावधानों के मध्यनजर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना दत्तवास जिला टोंक द्वारा जप्त वाहन एच.आर.–73 बी 5601 **ट्रक** को इस शर्त पर प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश दिये जाते है कि यदि प्रार्थी उक्त वाहन के जुर्माने के रूप में **1,00,000/रूपये (एक लाख रूपये)** राजकोष में जमा करवाकर रसीद,मोचन आदेश (रिलीज ऑडर) एवं वाहन का स्वामी होने के प्रमाण के मूल दस्तावेज थानाधिकारी दत्तवास को प्रस्तुत कर दें, तो वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी में दे दिया जावे। थानाधिकारी दत्तवास को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.ओम प्रकाश बैरवा)
जिला कलेक्टर
जिला कलेक्टर, टोंक
टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)